

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 700426/16

संस्थित दिनांक-22.07.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

करूसिंह उर्फ कलियानसिंह पुत्र शत्रुघनसिंह तोमर

उम्र 27 साल, निवासी तुकेंडा थाना मालनपुर

जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

**{आज दिनांक 23.05.18 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 452, 504, 323, 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 23.02.16 को 4:30 बजे आरक्षी केन्द्र एण्डोरी अंतर्गत गुरुद्वारा बाराहैट पैडा नामक स्थान पर फरियादी हरप्रीतसिंह सिख को उक्त स्थान जो कि संपत्ति की अभिरक्षा में प्रयुक्त किया जाता है, में कारावास से दण्डनीय अपराध उपहति कारित करने की तैयारी पश्चात् प्रवेश कर आपराधिक ग्रहअतिचार कारित किया, फरियादी हरप्रीत सिंह सिख को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए गाली देकर अपमानित किया जिससे वह प्रकोपित होकर कोई अपराध कारित करे या लोकशांति भंग करे, फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 23.02.16 को फरियादी हरप्रीत सिंह गुरुद्वारा बाराहैट पैडा पर कमरे के अंदर लेटा था इतने में अभियुक्त करूसिंह अन्य 2-3 लोगों के साथ कमरे में घुस आया और गालियां देकर कहने लगा कि यही पंजाबी है जिसने हमसे झगडा किया था तब उसने कहाकि झगडा उसने नहीं किया। इसी बात पर अभियुक्त करू ने उसके सिर में पीछे लाठी मारी जिससे सिर में खून निकल आया, दूसरी लाठी बाएं हाथ में मारी तथा अन्य लोगों ने लात घूंसो से मारपीट की। संग्रामसिंह, सुखेन्द्रसिंह व हरजिंदर ने बचाया। जाते समय आरोपीगण जान से मारने की धमकी दे गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र० 16/16 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किए गए, अभियुक्त को गिरा कर गिरा पत्रक, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ़्त की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.02.16 को 4:30 बजे आरक्षी केन्द्र एण्डोरी अंतर्गत गुरुद्वारा बाराहैट पैडा नामक स्थान पर फरियादी हरप्रीतसिंह सिख को उक्त स्थान जो कि संपत्ति की अभिरक्षा में प्रयुक्त किया जाता है, में कारावास से दण्डनीय अपराध उपहति कारित करने की तैयारी पश्चात् प्रवेश कर आपराधिक ग्रहअतिचार कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी हरप्रीत सिंह सिख को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए गाली देकर अपमानित किया जिससे वह प्रकोपित होकर कोई अपराध कारित करे या लोकशांति भंग करे ?
3. क्या उक्त दिनांक तथा समय पर फरियादी हरप्रीतसिंह सिख के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
5. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुखविन्दर अ०सा० 1, हरजिंदर अ०सा० 2, हरप्रीत अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. फरियादी हरप्रीतसिंह अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे अभियुक्त को जानते हैं। घटना उनके साक्ष्य से दो ढाई साल पहले शाम के 4:30-5 बजे की है। वे गुरुद्वारे के अंदर कमरे में बैठे थे इतने में एक व्यक्ति दो तीन लोगों के साथ गुरुद्वारे के बाहर आया और उसे गालियां देने लगा जिससे उसका झगडा हो गया। साक्षी झगडे की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में करना

बताता है, रिपोर्ट प्र०पी० 3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करता है। अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं करता कि कौन व्यक्ति अभिकथित घटनास्थल पर आकर उसे गाली गलौंच कर रहे थे, कौनसी गालियां दे रहे थे तथा उनके द्वारा कोई भी धमकी दिए जाने का भी कथन नहीं करता है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि जब वह कमरे में बैठा था तब अभियुक्त अन्य दो तीन लोगों के साथ आया और मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा। इस तथ्य से भी इंकार करता है कि अभियुक्त ने उसे लाठी मारकर उपहति कारित की। साक्षी रिपोर्ट प्र०पी० 3 में बी से बी भाग पर संपूर्ण घटना में अभियुक्त की संलिप्तता से इंकार करता है।

7. प्रकरण में अभिकथित चक्षुदर्शी साक्षी सुखविन्दर अ०सा० 1 एवं हरजिंदर अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उन्होंने घटना नहीं देखी। साक्षी सुखविन्दर अ०सा० 1 मात्र यह कथन करता है कि उसने शोर शराबे की आवाज सुनकर छत से देखा तो 5-6 लोग गेट के बाहर जा रहे थे। उसने देखा कि हरप्रीत के सिर में चोट लगी थी। साक्षी हरजिंदर अ०सा० 2 भी यह कथन करता है कि वह शोर शराबे की आवाज सुनकर नीचे पहुंचा तो देखा कि हरप्रीत को चोट लगी थी, किन्तु उसे कैसे चोट आई, यह बताने में अस्मर्थ है। यह साक्षी कथन करता है कि हरप्रीत ने बताया था कि बाहर के लडके आए थे जिन्होंने मारपीट की थी। उक्त दोनों ही साक्षी पुलिस को कोई भी कथन देने से इंकार करते हैं। अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर प्र०पी० 1 व 2 के संपूर्ण सारवान कथन को पुलिस को देने से इंकार करते हैं। इस प्रकार से घटना के आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया इस कारण से अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

8. प्रकरण में फरियादी हरप्रीत अ०सा० 3 स्पष्ट रूप से कथन करता है कि वह अभियुक्त को जानता है। इसके बावजूद सूचक प्रश्नों में अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किए जाने के तथ्य से इंकार कर रहा है। फरियादी एवं आहतगण के अखण्डनीय कथनों से यह तथ्य प्रमाणित मान भी लिया जाए कि घटना दिनांक को फरियादी को शरीर पर चोटें मौजूद थी, फिर भी अभियोजन की ओर से इस तथ्य के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी है कि अभिकथित उपहति अभियुक्त द्वारा कारित की गयी थी। जहां तक प्र०पी० 1, 2, 3 व 5 का प्रश्न है तो उक्त प्राथमिकी एवं पुलिस कथन स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके संबंध में प्राथमिकी कर्ता एवं कथन कर्ताओं ने सारवान विरोधाभास अभिलेख पर प्रकट किया है। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है और संदेह का लाभ अभियुक्त प्राप्त करने का हकदार है।

9. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध

में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य तो प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 23.02.16 को 4:30 बजे आरक्षी केन्द्र एण्डोरी अंतर्गत गुरुद्वारा बाराहैट पैडा नामक स्थान पर फरियादी हरप्रीतसिंह सिख को उक्त स्थान जो कि संपत्ति की अभिरक्षा में प्रयुक्त किया जाता है, में कारावास से दण्डनीय अपराध उपहति कारित करने की तैयारी पश्चात् प्रवेश कर आपराधिक ग्रहअतिचार कारित किया, फरियादी हरप्रीत सिंह सिख को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए गाली देकर अपमानित किया जिससे वह प्रकोपित होकर कोई अपराध कारित करे या लोकशांति भंग करे, फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 452, 504, 323, 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्त के जमानत व मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक जमानत आदेश अनुसार प्रभावशील रहेगा।
11. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
12. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो तो इस संबंध में धारा 428 दफ़्तर का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी उपर्युक्त  
(शासकीय / विधिक)